फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

मोहन लाल पिता उदयलाल ब्राह्मण

बनाम

बगदीराम पिता लालू चमार वगैरा

प्रकरण संख्या 03/2016 (रा.प्रा.पत्र)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अधिक्ता विपक्षी संख्या 1, 3, 4 उपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित नहीं। अधिवक्ता प्रार्थी ने दिनांक 06.11.2019 को मृत्तक वि. सं. 2 के विधिक वारिसान को पक्षकार बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 06.11.2019 से आदिनांक तक मृत्तक वि. सं. 2 के विधिक वारिसान की तामील बाबत् नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया। दिनांक 06.11.2019 के पश्चात् से अब तक लगभग 24 तारीख पेशियाँ निकल चुकी है अधिवक्ता प्रार्थी को मृत्तक वि. सं. 2 के विधिक वारिसान की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश करने बाबत् कई बार निर्देशित किया गया तथा दिनांक 31.08.2022 को न्यायहित में मृत्तक वि. सं. 2 के विधिक वारिसान की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश करने बाबत् अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है फिर भी उनके द्वारा नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है तथा आज वे बावजूद सूचना के उपस्थित भी नहीं हुए हैं। अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	